

कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12, लखनऊ।

सं०:- 3527/12-01ई/2017,

दिनांक-30/06/2017.

"स्थानान्तरण आदेश"

परिषद एतद्वारा सम्यक विचारोपरान्त मो० अफरोज, वाहन चालक, जनपद रायबरेली को इनकी विशिष्ट पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत निजी अनुरोध पर इन्हें जनपद रायबरेली से जनपद लखनऊ में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त कार्मिक की ज्येष्ठता स्थानान्तरित जनपद में वाहन चालक संवर्ग के वाहन चालकों की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे निर्धारित की जायेगी, जिसकी सहमति उपर्युक्त कार्मिक द्वारा दी जा चुकी है। प्रश्नगत स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए सम्बन्धित कार्मिक को कोई स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा। यदि सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध जनपद स्तर पर कोई अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान होगी तो उनका स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राजस्व परिषद की ओर से,

हस्ताक्षर

(लीना जोहरी)

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरण आदेश के उपबन्धोंके अनुसार आश्वस्त होकर अपने जनपद से सम्बन्धित कार्मिक को स्थानान्तरित जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त करने का कष्ट करें।
- 2- जिलाधिकारी लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से परिषद को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी को जिलाधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर

30/06/17

(जे० बी० यादव)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।